

AAG-09
30/03/15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.NO. _____ / of 2015.

Sri Rajendra Yadav & others.....

Petitioners.

Versus

The State of Bihar and others.

Respondents.

Subject: **Promotion (Non Guzatted, Govt. Service)**

I N D E X .

<u>Sl. No.</u>	<u>PARTICULARS.</u>	<u>PAGES.</u>
1	An application Under Article 226 of the Constitution of India.	1to 12
2	<u>Annexure-1</u> A Photo copy of Notification dated 31.3.2011.	13-14
3	<u>Annexure-2</u> Photo copy of letter dated 13.2.2012.	15
4	<u>Annexure-3</u> Photo copy of letter dated 2.11.2012.	16-18
5	<u>Annexure-4</u> Photo copy of application dated 6.1.2015.	19
6	<u>Annexure-5</u> Photo copy of application dated 31.1.2015	20
7	<u>Vakalatnama.</u>	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.NO. _____ / of 2015.

Sri Rajendra Yadav & others.....

Petitioners.

Versus

The State of Bihar and others.

Respondents.

SYNOPSIS.

Prayer: For promotion on the post of clerk in on the basis of
Guide line by Finance Department, Bihar, Patna.

Dates and Events.

Para-4:	The petitioners have appointed on the post of Peon in Agriculture Division Saharsa and hold qualification of clerk.
31.03.2011:	The Finance Department, Bihar, Patna has issued guide line for promotion on the post of clerk in Agriculture Department.
13.2.2012:	The Agriculture Director, Bihar, Patna has issued letter and directed all Division of Joint Director Agriculture for promotion on the post

	of clerk in the light of guide line fixed by Finance Department, Bihar, Patna.
02.11.2012:	The Joint Director Agriculture Tirhut Division, Muzaffarpur has already filled the aforesaid director and granted promotion in similar persons.
06.01.2015:	The petitioners have filed application, but not consider till today
----	<u>Hence this writ application.</u>

3135

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXECUTION & ADOPTION DEPT.
PATNA-800001-PATNA

COURT FEE

Authorization No. 2674



STAMP DUTY

00000

Rs. 0003135

375448

•Zero•Zero•Zero•Three•One•Three•Five•

BIHAR

9586 6378607

U.P. Yadav

9586

Thakur

Shankar Kumar Singh
Advocate
Patna-800014, Bihar

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No.....of 2015.

In the matter of an application
under Article 226 of the
Constitution of India.

And

In the matter of:-

1. Sri Rabindra Yadav son of Late Guneshwar Yadav,
Resident of Village- Rahuanani, Police Station- Bangaon,
District- Saharsa.
2. Sri Rabindra Kumar, son of Late Mahavir Yadav, resident
of Village- Hanuman Nagar, Police Station- Saur Bazar,
District- Saharsa.

3. Sri Chandra Bhushan Kumar son of Late Ganga Prasad Yadav, Resident of village Maheshpur, P.S. Sonar Bazar, District Saharsa.
4. Md. Abdul Quadir, son of Late Abdul Hafiz resident of village Ghapri, P.S. Maheshi, District Saharsa.
5. Sri Narayan Rishideo, son of Late Surendra Rishideo, Resident of village Basti Bharnar, P.S. Barha District Saharsa.
6. Punam Devi, wife of Late Rajendra Mishra resident of village Panchgachiyan, P.S. Bihara, District Saharsa.
7. Sri Shambhu Yadav, son of Late Jalam Yadav, Resident of village Shashai P.S. Shashai, District Saharsa.
8. Sri Dinesh Prasad Yadav son of Late Ganga Pd. Yadav, resident of village Marijhal, P.S. Cheriya Bariyarpur District Begusarai.
9. Sri Bidya Nand Prasad Sah, son of Sri Dev Nr. Sah resident of village Chansipatti, P.S. & District Supaul.
10. Sri Umesh Paswan son of Late Kamal Paswan, resident of village Karnapur P.S. & District Supaul.

11. Sri Ranjeet Pd. Singh son of Late Surendra Pd. Singh,
resident of village Bajitpur P.S. Triveniganj, District
Supaul.

..... Petitioners.

Versus

1. The State of Bihar through Agriculture Production
Commissioner, Government of Bihar, Patna.
2. The Agriculture, Production Commissioner, Govt. of
Bihar, Patna.
3. The Director (Adm), Agriculture Department, Bihar,
Patna.
4. The Joint Agriculture Director, Koshi Division, Saharsa.
5. The District Magistrate, Saharsa.
6. The District Magistrate Supaul.
7. The District Magistrate Madhepura.
8. The District Agriculture Officer, Saharsa.
9. The District Agriculture Officer, Supaul.
10. The District Agriculture Officer, Madhepura.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy,
the Chief Justice of the High Court of
Judicature at Patna and His Companion
Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of
the petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:

1. That this writ application is being filed in the nature of mandamus commanding the respondent to consider for promotion to the petitioners in the light of guide line by Finance department, vide Notification no. 2937 dated 31.03.2011 and for any other order/orders or relief/reliefs which the petitioners may found to be entitled in the facts and circumstances of the case.

A Photo copy of Notification
dated 31.3.2011 is annexed
herewith and marked as
Annexure-1 to this petition.

2. That the issues of seminal important involved in the present writ application are as follows:-

- (i) For the respondent authorities have not consider the petitioners claim in guideline by Finance Department.
 - (ii) For the Respondent authorities have already considered the claim and promoted other similar persons in the light of aforesaid circular, but the petitioners claim have not consider.
 - (iii) For the petitioners' have several time appear through application, but the respondent authorities have not consider is legal or not.
 - (iv) For the respondents authorities have act is against law.
 - (v) For the Respondent Authorities have violation of Article 15 or not.
3. That the petitioners are Citizen of India and reside within territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
 4. That the petitioner no.1 was appointed on the post of Peon, and posted in Office of Joint Director of Agriculture Saharsa, on 13.12.1986, petitioner no.2 was appointed on the post of Peon on 2.7.1990 and posted in Office of District Agriculture Officer Saharsa,

petitioner no.3 was appointed on the post of Peon on 26.8.2004 and posted in office of Joint Director, Agriculture, Saharsa Division Saharsa, Petitioner no.4 was appointed on the post of Peon on 28.3.1990 and posted in office of Joint Director Agriculture, Saharsa Division Saharsa, Petitioner no.5 was appointed on the post of Peon on 17.5.85 and posted in office of Joint Director Agriculture Saharsa Division Saharsa, Petitioner no.6 was appointed on the post of Peon on 6.8.1991 and posted in Office of Joint Director, Agriculture, Saharsa Division Saharsa, Petitioner no.7 was appointed on the post of Peon on 11.11.2003 and posted in Office of Sub-Divisional Agriculture Office, Saharsa, Petitioner no.8 was appointed in the post of Peon on 31.12.84 and posted in Sub divisional Agriculture Office, Madhepura, Saharsa Division, Petitioner no.9 was appointed on the post of Peon on 12.7.1994 and posted in the office of District Agriculture Officer Supaul, Petitioner no.10 was appointed on the post of Peon on 24.11.1987 and posted in office of Project Executive Officer, Agriculture

Supaul and the petitioner no.11 was appointed on the post of Peon on 5.9.1994 and posted in office of Project Executive Officer Agriculture, Chatapur, Saharsa Division Agriculture Saharsa.

5. That the all petitioners are hold qualification on the post of clerk and passed Matric and Intermediate.
6. That the Finance Department, Govt. of Bihar, Patna has issued guide line for promotion on the post of Clerk and stated in clause VI of the aforesaid notification that these class IV employees are held qualification of clerk, these are promoted without any examination on the basis of Seniority vide notification no. 2937 dated 31.3.2011 (Annexure-1 to this writ petition).
7. That as per aforesaid notification, that the petitioner's have several time approach for prepared seniority list in Agriculture Division Saharsa and promoted on the post of clerk, but the Joint Director Agriculture Saharsa Division has neither followed the finance department Notification and nor consider the petitioners claim till today.

8. That as per petitioners application, the Agriculture Director, Bihar, Patna has directed to all Joint Agriculture Director, for promotion on the post of clerk in the light of guide line by Finance Department, Govt. of Bihar, Patna vide letter no. 288 dated 13.2.2012.

Photo copy of letter dated 13.2.2012 is annexed herewith and marked as **Annexure-2** to this petition.

9. That as per direction by Agriculture Director, Bihar, Patna, the Joint Director, Agriculture, Tirhut Division, Muzaffarpur has already considered the similar persons and promoted in the post of clerk in the light of Finance Department Notification vide order 1494 dated 2.11.2012.

Photo copy of letter dated 2.11.2012 is annexed herewith and marked as **Annexure-3** to this petition.

10. That the petitioners have filed application before competent Authority namely Joint Director Agriculture,

Saharsa Division Saharsa on 6.1.2015 and 31.1.2015, but the Respondent authority has not consider till today.

Photo copies of application dated 6.1.2015 and 31.1.2015 are annexed herewith and marked as **Annexure-4 and 5** to this petition.

11. That as per guide line by Finance Department, Bihar, Patna the Agriculture Director, Bihar, Patna has already due to all Joint Director Agriculture, for consider of promotion, these Class IV employees are hold qualification on the post of clerk. Thereafter some Agriculture Division has already followed the aforesaid direction and promoted. Similar persons on the post of clerk, but the Joint Director, Agriculture, Saharsa Division Saharsa has not followed till today.
12. That the petitioners have several time approach all respondents. But not consider the petitioners claim till today.

Pass such other order or
orders as your lordships may
deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT.



I, Sri Rajendra Yadav aged about 48 years son of Late Guneshwar Yadav, Resident of Village Rahuanani, Police Station Bangaon, District Saharsa do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am petitioner No.1 in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statement made in paragraph no. 23, 12, 13 are true to my knowledge and those made in paragraph no. 14, 6, 11 are true to my information derived from the records which I believe to be true and rest are submission before this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/ Photo copies of their respective originals.


Announcement

13

संख्या-3ए-2-वे0पु0-02/2011/..... वि०



बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।
संकल्प



विषय:- उच्चस्तरीय समिति द्वारा वेतन समिति एवं वित्त विभाग के संकल्प सं०-630 दि०-21.01.10 की विसंगतियों पर की गई अनुशंसा के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में अपने कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्तों की स्वीकृति हेतु वेतन समिति का गठन किया गया । वेतन समिति एवं त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के समूह 'घ' के कर्मियों के लिए केन्द्र सरकार के आदेश पर वेतन उत्कमण की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प सं०-9181 दि०-23.08.2010 के द्वारा

2. वेतन समिति एवं त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों की विसंगतियों पर विचार किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की समूह 'घ' के संबंध में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन था ।

3. उच्चस्तरीय समिति की समूह 'घ' के संबंध में की गई अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत वित्त विभागीय संकल्प सं०-630 दि०-21.01.10 एवं 9181 दि०-23.08.2010 में निम्नलिखित संशोधन का निर्णय लिया गया है :-

(i) दसवीं उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मियों को वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड-पे-1800/- अनुमान्य होगा तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा;

(ii) दसवीं अनुत्तीर्ण (नव् मैट्रिक) समूह 'घ' के कर्मियों को पे बैंड-1एस ग्रेड-पे-1650/- अनुमान्य होगा । उन्हें पे बैंड-1 एवं ग्रेड-पे-1800/- एवं वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रशिक्षणोपरांत की जाएगी;

(iii) भविष्य में इस समूह के पद को नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी; तथा

(iv) समूह 'घ' के वैसे कर्मियों जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं उन्हें बिना किसी परीक्षा के वरीयता क्रम में लिपिक संवर्ग में नियुक्त किया जायेगा ।

निदेशक (प्रशासन) कोषागार
4471
15/04/11
निदेशक (प्रशासन) कोषागार
महेश्वर झा
निदेशक (प्रशासन) कोषागार
15/04/2011

1932-
06.04.11

14

4. पूर्व में निर्गत संकल्प/आदेश इस हद तक अचक्रित होंगे तथा स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान दि०-०१.०१.०६ से वैचारिक तथा दि०-०१.०४.०७ से आर्थिक लाभ, संकल्प सं०-६३० दि०-२१.०१.१० के प्रावधानों के आलोक में अनुमान्य किया जाएगा ।

आदेश:- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी राज्य सरकार के गजट में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-३ए-२-वे०पु०-०२/२०११/..... दि०

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), महालेखाकार कार्यालय, धीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-३ए-२-वे०पु०-०२/२०११/..... दि०

पटना, दिनांक:- ३/३/११

प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/अवर सचिव, वित्त (वेतन निर्धारण शाखा) विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

Handwritten signature/initials on the left margin.

Annexure 2
कृषि निदेशालय, बिहार

(15)

पत्र संख्या- 06/स्था0 अन्य-57/11 288

/कृ0, पटना, दिनांक 13 फरवरी, 2012

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, मा0व0से0
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त कृषि निदेशक।

विषय:-

समूह 'घ' के कर्मियों को लिपिक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।

प्रसंग:-

वित्त विभाग का संकल्प सं0- 3 एं-2 वे0पु0-02/2011-2937
दिनांक 31.03.11

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासांगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि वित्त विभाग के उक्त संकल्प के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई की जाय।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रासांगिक संकल्प के अन्य बिन्दुओं पर भी कार्रवाई शीघ्र की जाय।

अनुलग्नक :- यथावत।

विश्वामाजिन

(अरविन्दर सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:- 288

/कृ0, पटना, दिनांक 13 फरवरी, 2012

प्रतिलिपि:- जिला मंत्री, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (सेवांजली), जिला शाखा- मुजफ्फरपुर, कार्यालय- संघ भवन, अस्पताल रोड, मुजफ्फरपुर/बिहार राज्य कृषि कर्मचारी संघ, प्रधान कार्यालय- मीठापुर फार्म को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कार्यालय-संयुक्त कृषि निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय आदेश सं०..... दि०...../क०, मुजफ्फरपुर, दिनांक 02, मई 2012.
 सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 3/M/098/2010 सा० 8211 दिनांक- 23.03.2011 एवं बिहार विभाग बिहार, पटना के ज्ञापक- 2937 दिनांक- 31.03.2011 तथा विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक- 05.10.2012 के प्रस्ताव संख्या- 2 में किए गए अनुशंसा के आलाक में निम्नांकित समूह- 'घ' के मैट्रिक उत्तीर्ण कर्मियों को समूह- 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक) में नियुक्ति हेतु आशुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक- 1440 दिनांक- 21.08.2012 से प्राप्त अनुमोदित रीस्टर के अनुसार निम्नवर्गीय लिपिक के वेतनमान- 5200-20,200/- (ग्रेड-पे- 1900/-) तथा सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते के साथ योगदान की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त की जाती है।

क्र०	वै.सं.	नियुक्त कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अभिवृत्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	14	श्री. कवि शर्मा	05.07.1953	अ०पि० वर्ग	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, मुशहरी	
2	16	श्री. रामनाथ सिंह	01.01.1966	अनु० जाति	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, मुशहरी	
3	19	श्री. राजेश कुमार शर्मा	15.05.1981	पि० जाति	अनु० कृषि कार्यालय (सा०) हाजीपुर	
4	22	श्री. सुमन शर्मा	05.02.1982	सामान्य	अनु० कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी	
5	24	श्री. राममोहन सिंह	07.07.1961	पि० वर्ग	संयुक्त कृषि निदेशालय, मुजफ्फरपुर	
6	25	श्री. लक्ष्मण कुमार शर्मा	02.01.1968	अ० पि० वर्ग	संयुक्त कृषि निदेशालय, मुजफ्फरपुर	
7	27	श्री. रमेश कुमार शर्मा	01.01.1980	पि० जाति	मिडी जेच प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर	
8	38	श्री. प्रदीप कुमार शर्मा	01.10.1983	पि० जाति	संयुक्त कृषि निदेशालय, मुजफ्फरपुर	
9		श्री. प्रदीप कुमार शर्मा	01.12.1969	सामान्य	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, मुशहरी	
10		श्री. राजेश कुमार शर्मा	01.01.1980	सामान्य	मिडी जेच प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर	
11		श्री. राजेश कुमार शर्मा	03.01.1972	सामान्य	अनु० कृषि कार्यालय (प०) सोतामंदी प०	
12		श्री. राजेश कुमार शर्मा	15.08.1975	सामान्य	संयुक्त कृषि निदेशालय, मुजफ्फरपुर	

उपरोक्त कर्मियों को नियुक्त करने हेतु प्रमाणित पत्र/जाति प्रमाण-पत्र आदि मूल दस्तावेजों के साथ संयुक्त कृषि निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क०प०उ०.....

11/5

(2)

इनकी शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि/जाति प्रमाण-पत्र की जांच संबंधित शैक्षणिक संस्थान/बोर्ड/विभाग से कराने के पश्चात् ही वेतन आदि का भुगतान किया जाएगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक- 8211 दिनांक- 23.03.2011 की कड़िका 9, 11 एवं 12 का अनुपालन अनिवार्य है।

कड़िका-9- प्रत्येक भर्ती परीक्षा पर एक वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थिति में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकता है। यदि परीक्षा अवधि संतोष जनक नहीं है तो अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार के राय में परीक्षा अवधि में कर्मों में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोष जनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित कर्मों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।

कड़िका-11- परीक्षा अवधि की संतोष जनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की सतीर्णता के पश्चात् सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

कड़िका-12- इसकी वरीयता अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये होंगे।

नियुक्ति के कालखण्ड में यदि कोई प्रक्रियगत त्रुटी अथवा भूल प्रकाशन में आता है तो ऐसी त्रुटी संशोधित होने पर प्रोन्नति/नियुक्ति प्रभावित होगी। तत्पश्चात् प्रोन्नति/नियुक्ति को बिना किसी कारण बताये रद्द/संशोधन कर दी जायगी एवं संबंधित कर्मों अपने मूल कॉस्ट में स्वतः वापस हो जायेंगे तथा प्रोन्नति से प्राप्त लाभ की राशि एक मूल में वसूली कर ली जायगी।

HO/-

संयुक्त कृषि निदेशक,
तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर।

वी. H. S. 2012

संयुक्त कृषि निदेशक, तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर, बिहार के पृथक्-पृथक आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाना है कि संबंधित कर्मों के अन्तर्गत अतीरहुतीकारी कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित किया जाए।

HO/-

संयुक्त कृषि निदेशक,
तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर।

कृ०पृ०उ०.....

18

(3)

ज्ञापाक...../क०, मुजफ्फरपुर, दिनांक
प्रतिलिपि-संबंधित कार्यालय प्रधान को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वी न०/30/2012

ह०/-
संयुक्त कृषि निदेशक,
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापाक...../क०, मुजफ्फरपुर, दिनांक
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/हाजीपुर/शीतामढी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वी न०/30/2012

ह०/-
संयुक्त कृषि निदेशक,
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापाक...../क०, मुजफ्फरपुर, दिनांक
प्रतिलिपि-सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य पत्रागार, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

वी न०/30/2012


ह०/-
संयुक्त कृषि निदेशक,
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापाक...../क०, मुजफ्फरपुर, दिनांक 02/11/2012
प्रतिलिपि-संयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनाार्थ प्रेषित।

वी न०/30/2012

संयुक्त कृषि निदेशक,
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

Announcement



19

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (शाष्),

सहरसा प्रमंडल, सहरसा।

विषय :-

समूह 'घ' के कर्मियों को लिपिक के पद पर प्रोन्नति देने के संबंध में।

प्रसंग :-

वित्त विभागयी संकल्प सं० 9484 दिनांक 23.08.2010 सरकार के संयुक्त सचिव बिहार, पटना के आप सं० 2937 दि० दिनांक 31.03.2011 एवं कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आपांक 288 दिनांक 13.02.2012.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रांसांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि समूह 'घ' के कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं उन्हें बिना किसी परीक्षा के वरीयता क्रम में लिपिक संवर्ग में प्रोन्नति देने का आदेश पारित है साथ ही ऐसे प्रोन्नति से वरीयता सूची भी प्रभावित नहीं होगी, ऐसा भी निदेश है।

वर्णित परिवेक्ष्य में अब कार्यालय स्तर से भी कोई संचिका श्रीमान् के समक्ष नहीं लाया गया है साथ ही श्रीमान् के बार-बार आदेश के बावजूद रोस्टर नियमित करने में भी कार्यालय द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है जिसके कारण सरकारी आदेश का भी अनदेखी कर आदेश का उल्लंघन हो रहा है।

अतः निवेदन है कि कृपया अपने स्तर से कार्यालय को निदेश देने की कृपा की जाय कि समूह 'घ' के हम सभी निम्नांकित कर्मियों को शीघ्र प्रोन्नति के संबंध में संचिका श्रीमान् के समक्ष उपस्थापित हो सके। अन्यथा हम कर्मियों को न्यायालय के शरण में जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

विश्वासभाजन

नारायण महिषी

जीत रा. शर्मा

दिनेश कुमार

अच्छल काशी

अजय राय

पद भूषण कुमार

विजय कुमार

शंभू पादव

रवीन्द्र कुमार सिंह

विद्यानाथ साहू

22
7-1-15

सेवा में

संयुक्त निदेशक (शष्य)

सहरसा प्रमण्डल, सहरसा।

द्वारा :-

अचित माध्यम।

विषय :-

समूह-"घ" से समूह-"ग" में प्रोन्नति देने के संबंध में।

प्रमाण :-


मिलाधिकारी, सुपौल का झापांक-38-2, स्था0, दिनांक 16.01.2015 एवं झापांक-58-2, दिनांक 20.01.2015।

पद/शाय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्रीमान से निवेदन पूर्वक कहना है कि, कई वर्षों से मेरा प्रोन्नति अवरुद्ध है, जबकि मैंने लिखित रूप से भी प्रोन्नति की मांग सरकारी नियमानुसार की है। मौखिक रूप से भी कई बार इस संदर्भ में तत्कालीन पदाधिकारी एवं श्रीमान से भी किया हूँ। लेकिन कार्यालय द्वारा कभी शेस्टर बिन्दु तो कभी वरीयता सूची का निर्धारण को लेकर टाल-मटोल की निति अपनाकर प्रोन्नति प्रक्रिया से बाधित किया जा रहा है, जबकि कई जिलों एवं प्रमण्डलों में विगत वर्षों में ही समूह-"घ" से समूह-"ग" में प्रोन्नति दे दी गई है।

श्रीमान के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि, मैं सरकारी आदेशानुसार सभी अहर्षा को पूरा करता हूँ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि, उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कृपा कर मुझे प्रोन्नति दिया जाय। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा।



विश्यासभाजन

विद्यानन्द साह

विद्यानन्द साह,

कार्यालय परिचारी,

जिला कृषि कार्यालय,

सुपौल।

13. That in the facts and circumstances, the petitioners have no other equally efficacious alternative remedy than to move before this Hon'ble Court.
14. That the petitioner has not moved any such other application before this Hon'ble Court in the matter as stated in paragraph no.1 of writ application any earlier occasion.

It is therefore prayed that your lordships may graciously be pleased to admit this application, issue Rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why relief prayed in paragraph no. 1 of this writ application be not allowed and sufficient cause is shown make the rule absolute and allow the writ application.

And/or